न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 14/2024(GCMS 2024/21)
(आरटीआई संख्या 212269754266439)

श्री रवि कान्त निवासी वार्ड नं. 13, मक्कासर हनुमानगढ़ (मोबाईल नम्बर 98875–73360)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रवि कान्त स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2023 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रवि कान्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरूवाला में पदस्थापित व्याख्याता रविकांत के विरूद्ध किसी प्रकार की लिखित शिकायत या परिवाद प्राप्त हुआ है तो उसकी प्रमाणित प्रति के रूप में सूचना प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested

लोक **सूचना [illegible]कारी, सादुलशहर** ने अपने पत्रांक 447 दिनांक 12.03.2025 [illegible] निम्नानुसार प्रेषित [illegible]

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अपील सूचना अधिकार अधिनियम प्रकरण संख्या 14/2024 रविकान्त बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिसमें आगामी पेशी 26.03.2025 निर्धारित हैं। अपीलार्थी को उक्त सूचना आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 22.02.2024 को उपलब्ध करवा दी गई है। फिर भी अपीलार्थी द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र की दो अपील (09/2024 एवं 14/2024) पेश की है। अपील संख्या 09/2024 दिनांक 21.08.2024 को श्रीमान न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी की अपील खारिज की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र की दो अपील पेश की है, इसलिए हस्तगत अपील भी खारिज करने का श्रम करें। सूचना की प्रति श्रीमानजी को आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र की दो अपीलें 09/2024 एवं 14/2024 प्रस्तुत की है। अपील संख्या 09/2024 अनवान् रविकान्त बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में दिनांक 21.08.2024 को निर्णय पारित अपीलार्थी की अपील खारिज की जा चुकी है। इसलिए हस्तगत अपील भी उक्तानुसार निस्तारित करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर